संख्या-200/2019/2246/22-2-2019-17(949)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर , 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह उर्फ अत्रा पुत्र श्री रामफल निवासी जिला-बागपत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह उर्फ अत्रा पुत्र श्री रामफल, जो-ग्राम-भगौट, थाना-चान्दीनगर, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बंदी ने पैसे के लेनदेन में दिनांक 11.06.2013 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पवन को घर से बुलाकर कर्मवीर के ट्यूबबेल पर ले जाकर शराब पिलायी और पवन के गले में उसी की साफी (अंगौछा) से हौदी में डूबोकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1371/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-03 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 18.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक, बागपत ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, कारागार में विभिन्न अपराधियों के सम्पर्क में रहा है समयपूर्व रिहाई होने पर बंदी द्वारा अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई होने पर पुन: अपराधिक गातिविधियों में संलिप्त होने, बंदी कारागार में अधिक समय तक रहने के कारण अपराधियों के सम्पर्क में आने से अपराध करने में सक्रिय होने, बंदी अविवाहित होने, बंदी के परिवार की समाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। जिला मजिस्ट्रेट बागपत ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पैसे के लेनदेन में दिनांक 11.06.2013 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पवन को घर से बुलाकर कर्मवीर के ट्यूबबेल पर ले जाकर शराब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पिलायी और पवन के गले में उसी की साफी (अंगौछा) से हौदी में डूबोकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक

प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह उर्फ अत्रा पुत्र श्री रामफल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अतर सिंह उर्फ अत्रा (बन्दी संख्या-11335) पुत्र श्री रामफल, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-200/2019/2246(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-200/2019/2246/22-2-2019-17(949)/2019

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह उर्फ अत्रा पुत्र श्री रामफल, जो-ग्राम-भगौट, थाना-चान्दीनगर, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बंदी ने पैसे के लेनदेन में दिनांक 11.06.2013 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पवन को घर से बुलाकर कर्मवीर के ट्यूबबेल पर ले जाकर शराब पिलायी और पवन के गले में उसी की साफी (अंगौछा) से हौदी में डूबोकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1371/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-03 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 18.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक, बागपत ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, कारागार में विभिन्न अपराधियों के सम्पर्क में रहा है समयपूर्व रिहाई होने पर बंदी द्वारा अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई होने पर पुन: अपराधिक गातिविधियों में संलिप्त होने, बंदी कारागार में अधिक समय तक रहने के कारण अपराधियों के सम्पर्क में आने से अपराध करने में सक्रिय होने, बंदी अविवाहित होने, बंदी के परिवार की समाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। जिला मजिस्ट्रेट बागपत ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पैसे के लेनदेन में दिनांक 11.06.2013 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पवन को घर से बुलाकर कर्मवीर के ट्यूबबेल पर ले जाकर शराब पिलायी और पवन के गले में उसी की साफी (अंगौछा) से हौदी में डूबोकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह उर्फ अत्रा पुत्र श्री रामफल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in